



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर

जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर, सीकर

(Phone & FAX : 01572-294048 Help Line : 8306002137)

Email : dlsa32sikir@gmail.com, legalaidsikir@gmail.com

क्रमांक- 3424-3429

दिनांक- 21/8/25

प्रेषित:

श्रीमान अध्यक्ष महोदय,
तालुका विधिक सेवा समिति, श्रीमाधोपुर, रींगस, दांतारामगढ़
फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, नीमकाथाना।

विषय- मध्यस्थ के रूप में सेवाएँ प्रदान करने के इच्छुक, योग्य व्यक्तियों से आवेदन प्राप्त किये जाने के संबंध में आवश्यक सहयोग प्रदान किए जाने बाबत।

संदर्भ- माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्र क्रमांक एफ4(236) रालसा/वि.स./मध्यस्थता/2025/8359-8403 दिनांक 19.08.2025

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के संदर्भित पत्र द्वारा द्वारा वैकल्पिक विवाद निस्तारण एवं मध्यस्थता गतिविधियों के सफल एवं सुचारु संचालन के क्रम में प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों एवं तालुकाओं पर संस्थापित मध्यस्थता केन्द्रों में मध्यस्थ के रूप में सेवाएँ प्रदान करने के इच्छुक, सक्षम तथा योग्य व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किये जाने हैं।

अतः उक्त संबंध में निवेदन है कि आपके तालुका विधिक सेवा समिति के कार्यालय के बाहर स्पष्टतः दृष्टव्य स्थान/नोटिस बोर्ड पर सूचना चस्पा कर मध्यस्थ बनने के इच्छुक, योग्य एवं सक्षम व्यक्तियों से दिनांक 25.08.2025 तक आवेदन संलग्न प्रारूप में प्राप्त कर इस कार्यालय को समय 12:00 पी.एम. तक भिजवाया जाना सुनिश्चित करें ताकि योग्य एवं सक्षम आवेदकों की सूची माननीय रालसा को समय पर भिजवायी जा सकें। विज्ञप्ति मय आवेदन पत्र प्रारूप सुलभ संदर्भ हेतु पत्र के साथ संलग्न प्रेषित है।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
सीकर।

दिनांक- 21/8/25

क्रमांक- 3433

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है-

1. श्रीमान् जिला कलक्टर, सीकर।
2. श्रीमान् अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, सीकर।
3. श्रीमान् अध्यक्ष अभिभाषक संघ श्रीमाधोपुर, रींगस, दांतारामगढ़
फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, नीमकाथाना जरिये अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति, समस्त सीकर न्याय क्षेत्र।
4. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, सीकर को प्रेषित कर लेख है कि विज्ञप्ति जिला न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करे।

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
सीकर।



राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ
विधिक सेवा सदन, विधिक सेवा मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर
दूरभाष: 0141-2227481 फ़ैक्स: 2227602 टोल फ्री हेल्पलाइन: 15100/9928900900
ई-मेल: rsjsaip@gmail.com, ri-slsa@nic.in वेबसाइट: <https://rajasthan.nalsa.gov.in>

क्रमांक:एफ4(236)रालसा/वि.सचिव/मध्यस्थता/2025/8053

दिनांक: 15/08/25

—:: विज्ञप्ति ::—

वैकल्पिक विवाद निस्तारण एवं मध्यस्थता गतिविधियों के सफल एवं सुचारु संचालन के क्रम में प्रदेश में उच्च न्यायालय स्तर, समस्त जिला मुख्यालयों एवं तालुकाओं पर संस्थापित मध्यस्थता केन्द्रों में मध्यस्थ (Mediators) के रूप में सेवाएं प्रदान करने के इच्छुक, सक्षम तथा योग्य व्यक्तियों से दिनांक 25.08.2025 तक आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

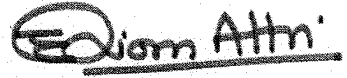
1. पात्रता: इस हेतु निम्नलिखित व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं:

- माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधिपतिगण
- माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधिपतिगण
- सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं सेवानिवृत्त सिविल न्यायाधीश
- माननीय सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय अथवा जिला न्यायालय में कम से कम 15 वर्ष वकालत का अनुभव रखने वाले अधिवक्तागण
- कम से कम 15 वर्ष का अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ या अन्य पेशेवर या वरिष्ठ नौकरशाह या सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी
- वे संस्थाएं जो स्वयं मध्यस्थता में विशेषज्ञ हैं और जिन्हें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से मान्यता प्राप्त है।

नोट: उपरोक्त के साथ-साथ अन्य सेवारत एवं सेवानिवृत्त बैंकिंग, मेडिकल, इंजीनियरिंग, बीमा, शिक्षा, कृषि, राजस्व, निर्वाचन, रक्षा व अन्य सरकारी एवं निजी क्षेत्र के अधिकारीगण भी मध्यस्थ बनने हेतु आवेदन कर सकते हैं।

2. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का स्थान: पात्रता रखने वाले आवेदक/संस्था निर्धारित प्रारूप में जिस मध्यस्थता केन्द्र में मध्यस्थ के रूप में पैनल में शामिल होना चाहते हैं, उस मध्यस्थता केन्द्र/संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच के मध्यस्थता केन्द्र हेतु रालसा, जोधपुर/जयपुर के कार्यालय में व्यक्तिशः या डाक द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन का प्रारूप राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट <https://rajasthan.nalsa.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है।

3. मध्यस्थगण का पैनल तैयार करने के लिए यथा सम्भव माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी किये गये वैकल्पिक विवाद निस्तारण नियम, 2004 के प्रावधानों की पालना की जावेगी।
4. मानदेय: मध्यस्थगण द्वारा प्रकरण में मध्यस्थ के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करने पर उन्हें राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर या प्रचलित नियमों के अनुसार समय समय पर निर्धारित मानदेय का भुगतान किया जावेगा।



सदस्य सचिव,
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जयपुर।



राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ
विधिक सेवा सदन, विधिक सेवा मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर
दूरभाष: 0141-2227481 फ़ैक्स: 2227602 टोल फ्री हेल्पलाइन: 15100/9928900900
ई-मेल: rsjsaip@gmail.com, ri-slsa@nic.in वेबसाइट: <https://rajasthan.nalsa.gov.in>

राजस्थान उच्च न्यायालय मध्यस्थता केन्द्र, जोधपुर/जयपुर तथा जिला मुख्यालयों एवं
तालुका स्तर पर मध्यस्थता प्रशिक्षण हेतु आवेदन-पत्र

- आवेदक का नाम
हिन्दी में
अंग्रेजी में
- आवेदक के पिता/पति का नाम
- जन्म तिथि (शब्दों व अंकों में)
- गृह जिला
- उच्च न्यायालय/जिले/तालुका का नाम, जहां अपनी सेवाएं देना चाहते हैं?
.....
- स्थायी पता
- वर्तमान पता
- मोबाईल नम्बर
- ई-मेल एड्रेस (बड़े अक्षरों में)
- कार्यालय का पता
- शैक्षणिक योग्यता (सैकण्डरी, सीनियर सैकण्डरी, स्नातक एवं तत्पश्चात् अर्जित):-

आवेदक अपना
नवीनतम रंगीन
पासपोर्ट साईज
फोटो यहां
चिपकाएं

क्र. सं.	परीक्षा	बोर्ड/ विश्वविद्यालय	उत्तीर्ण करने का वर्ष	श्रेणी	प्राप्तांकों का प्रतिशत
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

- क्या पूर्व में MCPC के निर्देशन में 40 घण्टे का मध्यस्थता प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ है? यदि हाँ तो प्रशिक्षण दिनांक व स्थान का विवरण अंकित करें।
- सेवारत आवेदक के लिए सेवा में प्रवेश की तारीख
- वर्तमान पदनाम (सेवारत आवेदक के लिए)
- अंतिम धारित पद (सेवानिवृत्त आवेदक के लिए)

